न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4651/2003/भरतपुर

रम्मो पुत्री गंगाधर पत्नी लक्ष्मण जाति धाकड नवासी हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 भवंरसिंह पुत्र शिलाल जाति धाकरड निवासी हरनगर
2 मानसिंह पुत्र भवंरसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली भवंरसिंह निवासी हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थी
श्री माधवराजसिंह वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.06.11.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 230/2001 में पारित निर्णय दिनांक 1.8.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, बयाना के न्यायालय में विवादित आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत कर 1/3 हिस्से का खातदेार घोषित करने एवं विभाजन किया जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.1.86 से वाद वादी खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.8.88 से स्वीकार की जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर दी गई। वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय ने इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार, बयाना से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 16.12.98 से

अन्तिम डिक्री जारी की। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1.8. 2003 से अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारों को नोटिस देकर राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना कर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करें। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सभी पक्षकारों को तलब कर सुनवाई का अवसर देकर तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर बंटवारा हेतु बने नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कर निर्णय पारित किया है जिससे प्रकरण को प्रति प्रेषित किये जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुरेजात रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण वर्ष 1977 से लम्बित है। प्रतिप्रेषित किये जाने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील संधारण योग्य भी नहीं है। जिससे यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर बिना पक्षकारों को तलब किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। कुरेजात रिपोर्ट एवं निर्णय में भी स्पष्ट रूप से पक्षकारान उपस्थित नहीं होना अंकित किया है। बंटवारा हेतु बने नियमों की पालना नहीं की गई है। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। जिससे प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जो न्यायोचित होने से यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 यिम 27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर गुलकंदी द्वारा ष्पिादित दानपत्र दिनांक 6. 4.1977 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, अपर जिला यायाधीश संख्या 1 के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया हैं। इस संबंध में दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात सक्षम न्यायालयों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां हैं। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उक्त दस्तावेजात को अभिलेख पर किया जाता है।

7. विचारण न्यायालय के आलौच्य निर्णय दिनांक 16.12.98 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.8.88 की पालना में इजराय का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को तलब नहीं किया है तथा कुरेजात रिपोर्ट भी पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है बल्कि पटवारी द्वारा बनाई गई है। तहसीलदार के हस्ताक्षर सी.एस. अंकित होकर हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है जो न्यायोचित है। हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 1.8.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य